आपूर्तिकर्ता आचार संहिता

इस आपूर्तिकर्ता आचार संहिता में दुनिया भर में मौजूद किसी भी MKS कंपनी के साथ व्यापार करने वाले सभी आपूर्तिकर्ताओं के लिए अपेक्षित व्यवहार के मानक और दिशानिर्देश दिए गए हैं। MKS की प्रतिष्ठा को ईमानदारी, अखंडता, गुणवत्ता और विश्वास के आधार पर बनाया गया है। इसलिए हमने अपने आपूर्ति श्रृंखला भागीदारों के लिए ये ज़रूरी किया है कि वे स्थानीय व्यावसायिक प्रथाओं या सामाजिक रीति-रिवाजों की परवाह किए बिना उसी तरीके से व्यवहार करें। आपूर्तिकर्ता आचार संहिता में व्यवसाय से जुड़े ज़रूरी व्यवहार के न्यूनतम मानक तय किए जाते हैं, ताकि आपूर्तिकर्ता ऐसे तरीकों से काम करें जो नैतिक, कॉर्पोरेट रूप से ज़िम्मेदार हों, तथा लागू कानूनों और विनियमों का अनुपालन सुनिश्चित किए जाने का लक्ष्य हो।

MKS ने उद्योग मानक ज़िम्मेदार बिज़नेस एलायंस आचार संहिता ("RBA कोड") को अपने आपूर्तिकर्ता आचार संहिता के रूप में अपनाया है। RBA कोड को यहाँ देखा जा सकता है: https://www.responsiblebusiness.org/code-of-conduct/

निम्नलिखित पेज में हमारी अपेक्षाओं से जुड़ी कुछ विशेषताओं को बताया गया हैं, जैसा कि RBA कोड में अधिक विस्तृत रूप से दर्शाया गया है।

श्रम और मानव अधिकार

MKS में हम इस बात की उम्मीद करते हैं कि हमारे आपूर्तिकर्ता अपने श्रमिकों के मानवाधिकारों को बनाए रखें तथा उनके साथ गरिमा और सम्मानपूर्वक व्यवहार करें और RBA कोड के श्रम और मानव अधिकार मानकों का पालन करें।

दास श्रम और मानव तस्करी

MKS में बेगारी या दास श्रम या मानव तस्करी के किसी भी रूप को समर्थन नहीं दिया जाता है। हमारे आपूर्तिकर्ताओं द्वारा नियुक्त या कार्यरत किसी भी व्यक्ति के पास अपनी इच्छा से ऐसा करने का विकल्प मौजूद होता है। किसी भी प्रकार का दास,बेगार, बंधुआ या गुलाम श्रम निषिद्ध है। श्रमिकों के लिए उनके आने-जाने की व्यक्तिगत स्वतंत्रता पर किसी भी तरह का प्रतिबंध नहीं लगाया जाना चाहिए।

बाल मज़दूरी या युवा श्रमिक

विनिर्माण के किसी भी चरण में बाल मज़दूर का इस्तेमाल नहीं किया जाना चाहिए। हम इस बात की उम्मीद करते हैं कि हमारे आपूर्तिकर्ता लागू कानूनों का पालन करें तथा वे बच्चों को नियुक्त नहीं करें:

- 15 वर्ष की आयु से कम या
- देश के कानून द्वारा स्वीकृत रोज़गार संबंधी न्यूनतम आयु से कम या उस देश में अनिवार्य स्कूली शिक्षा समाप्त करने की आयु, इनमें से जो भी अधिक हो,

18 वर्ष से कम आयु के श्रमिक कोई भी ऐसा कार्य नहीं करेंगे, जिसके करने से प्रकृति या परिस्थितियों के कारण उनके स्वास्थ्य या सुरक्षा को नुकसान पहुँचने की संभावना मौजूद हो।

वेतन और काम करने का समय

लागू राष्ट्रीय कानून और ILO मानकों के अनुसार हमारे आपूर्तिकर्ताओं के कर्मचारियों के लिए कार्य समय निर्धारित किए गए अधिकतम समय से अधिक नहीं होगा। आपातकालीन या असामान्य स्थितियों को छोड़कर, किसी कार्य-सप्ताह के अंतर्गत अतिरिक्त समय सहित प्रति सप्ताह 60 घंटे से अधिक का समय नहीं होना चाहिए।

हमारे आपूर्तिकर्ताओं के श्रमिकों को दिए जाने वाला मुआवज़ा सभी लागू कानूनों के अनुसार होगा जिसमें न्यूनतम मज़दूरी, अतिरिक्त समय और वेतन तथा कानूनी रूप से अनिवार्य लाभ शामिल हैं। अनुशासनात्मक नियमों के रूप में मूल वेतन से कटौती की अनुमति नहीं दी जाएगी। श्रमिकों को उनके मेहनताना की संरचना के बारे में पूरी जानकारी स्पष्ट और समझने योग्य तरीके से दी जानी चाहिए।

मानवीय व्यवहार एवं भेदभाव न होना

हम इस बात की उम्मीद करते हैं कि हमारे आपूर्तिकर्ता अपने श्रमिकों के साथ किए जा रहे कठोर या अमानवीय व्यवहार को रोकें तथा उस पर प्रतिबंध लगाएँ, जिसके अंतर्गत हिंसा, लिंग आधारित हिंसा, यौन उत्पीड़न, यौन शोषण, शारीरिक दंड, मानसिक या शारीरिक ज़ोर-ज़बरदस्ती, धमकाना, सार्वजनिक रूप से शर्मसार करना या श्रमिकों का मौखिक दुरुपयोग शामिल है। हमारे आपूर्तिकर्ता नियुक्ति और रोज़गार प्रथाओं के मामले में भेदभाव या उत्पीड़न से जुड़ी हरकतों में शामिल नहीं होंगे। स्थानीय कानून के अनुरूप, हम इस बात की उम्मीद करते हैं कि हमारे आपूर्तिकर्ता श्रमिकों के श्रमिक संघ में शामिल होने, सामूहिक रूप से सौदेबाजी करने और शांतिपूर्ण सभा में शामिल होने के अधिकारों का सम्मान करेंगे।

स्वास्थ्य और सुरक्षा

हमारा मानना है कि एक सुरक्षित और स्वस्थ कार्य वातावरण न केवल कार्य-संबंधी घटनाओं को कम करता है, बल्कि उत्पादों और सेवाओं की गुणवत्ता को भी बढ़ाता है। हम इस बात की उम्मीद करते हैं कि हमारे आपूर्तिकर्ता RBA कोड के स्वास्थ्य और सुरक्षा मानकों का पालन करेंगे।

व्यावसायिक सुरक्षा

कार्यस्थल पर श्रमिकों के स्वास्थ्य या सुरक्षा को ख़तरे में नहीं डालना चाहिए। ऐसा वातावरण सुनिश्चित करने के लिए, MKS अपने आपूर्तिकर्ताओं से निम्न बातों का पालन करने की अपेक्षा करता है:

- स्वास्थ्य और सुरक्षा संबंधी ख़तरों के लिए कार्य जोखिम की संभावना की पहचान करना, उनका मूल्यांकन करना और उन्हें कम करना;
- इंजीनियरिंग और प्रशासनिक नियंत्रण, निवारक रखरखाव और सुरक्षित कार्य प्रक्रियाओं को लागू करना तथा सुरक्षा प्रशिक्षण प्रदान करना; और
- जहां आवश्यक हो, दुर्घटनाओं के जोखिम या स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव को रोकने के लिए श्रमिकों को उचित व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरण प्रदान करना।

आपातकालीन तैयारियाँ

आपूर्तिकर्ताओं को संभावित आपातकालीन स्थितियों की पहचान और आकलन करना चाहिए तथा निम्न सहित आपातकालीन योजनाओं और प्रतिक्रिया प्रक्रियाओं को लागू करके ऐसी घटनाओं के संभावित प्रभाव को कम करना चाहिए:

- आपातकालीन रिपोर्टिंग;
- श्रमिक अधिसूचना और निकासी से जुड़ी प्रक्रियाएँ;
- श्रमिक प्रशिक्षण और अभ्यास;

- आग का पता लगाने और उसे कम करने के उपयुक्त उपकरण; और
- निकास की पर्याप्त सुविधाएँ।

व्यावसायिक चोट एंव बीमारी से बचाव

आपूर्तिकर्ताओं को व्यावसायिक चोट और बीमारियों को रोकने, उन्हें प्रबंधित करने, ट्रैक करने और रिपोर्ट करने के लिए प्रक्रियाएँ और प्रणालियाँ तैयार करनी होंगी। ये प्रणालियाँ श्रमिकों को दुर्घटनाओं की रिपोर्ट करने, चोट और बीमारी के मामलों को वर्गीकृत और रिकॉर्ड करने, आवश्यक चिकित्सा उपचार प्रदान करने, मामलों की जाँच करने और उनके कारणों को समाप्त करने के लिए सुधारात्मक कार्रवाइयों को लागू करने के लिए प्रोत्साहित करने में सहायता करती हैं।

औद्योगिक स्वच्छता

आपूर्तिकर्ता अपने श्रमिकों के संपर्क में आने वाले रासायनिक, जैविक और भौतिक एजेंटों के संपर्क की पहचान, मूल्यांकन और नियंत्रण करेंगे। अगर इंजीनियरिंग या प्रशासनिक नियंत्रणों के ज़रिए अधिक अनावरण को नियंत्रित नहीं किया जा सकता है, तो श्रमिकों को उचित निःशुल्क व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरणों द्वारा संरक्षित किया जाना चाहिए।

शारीरिक रूप से कठिन कार्य एवं मशीन की सुरक्षा करना

आपूर्तिकर्ताओं को शारीरिक रूप से मेहनत वाले कार्यों जैसे कि मैन्युअल सामग्री प्रबंधन, भारी या बार-बार सामान उठाना, लंबे समय तक खड़े रहना या अत्यधिक दोहराव वाले या ज़ोरदार संयोजन कार्यों के खतरों के प्रति अपने श्रमिकों के जोखिम की पहचान, उनका मूल्यांकन और उन्हें नियंत्रित करना चाहिए। आपूर्तिकर्ता भौतिक गार्ड, इंटरलॉक और बैरियर उपलब्ध कराएँगे और सुरक्षा खतरों का पता लगाने के लिए उत्पादन और अन्य मशीनरी का मूल्यांकन करेंगे।

स्वच्छता, भोजन, आवास, एवं प्रशिक्षण

आपूर्तिकर्ता श्रमिकों को स्वच्छ शौचालय सुविधाएँ, पीने योग्य पानी और सफ़ाई से भोजन तैयार करने, भंडारण और खाने की सुविधाओं तक पहुँच उपलब्ध कराएँगे। श्रमिक शयनगृह साफ़ और सुरक्षित होंगे। श्रमिकों को कार्यस्थल पर स्वास्थ्य और सुरक्षा संबंधी जानकारी और प्रशिक्षण उपलब्ध कराया जाएगा और बिना किसी प्रतिशोध के किसी भी स्वास्थ्य और सुरक्षा से जुड़ी चिंता उठाने के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा।

पर्यावरण

आपूर्तिकर्ताओं को अपने पर्यावरण से जुड़े प्रभावों की पहचान करनी चाहिए और जनता के स्वास्थ्य तथा सुरक्षा की रक्षा करते हुए, अपने विनिर्माण संचालनों के भीतर समुदाय, पर्यावरण और प्राकृतिक संसाधनों पर पड़ने वाले प्रतिकूल प्रभावों को कम करना चाहिए। हम इस बात की उम्मीद करते हैं कि हमारे आपूर्तिकर्ता RBA कोड के पर्यावरणीय मानकों का पालन करेंगे। इन मानको में निम्न शामिल हैं:

पर्यावरण से जुड़े परमिट और रिपोर्टिंग

आपूर्तिकर्ताओं को सभी आवश्यक पर्यावरण परमिट, स्वीकृतियाँ और पंजीकरण प्राप्त करने होंगे और उन्हें चालू रखना होगा।

प्रदूषण से बचाव एवं संसाधन उपयोग में कमी करना

आपूर्तिकर्ताओं को प्रदूषकों के उत्सर्जन और निर्वहन और अपशिष्ट उत्पादन को कम या समाप्त करना होगा।

खतरनाक पदार्थ, ठोस अवशेष एवं वायु प्रदूषक

आपूर्तिकर्ताओं को रसायनों, अवशेष और अन्य खतरनाक पदार्थों के इस्तेमाल, प्रबंधन और निपटान की पहचान, निगरानी और उन्हें नियंत्रित करना होगा। वाष्पशील कार्बनिक रसायनों, प्रश्लिष, संक्षारक, कणों, ओजोन ह्रास पदार्थों के वायु प्रदूषक और संचालन से उत्पादों द्वारा दहन की निगरानी, नियंत्रण और आवश्यकतानुसार व्यवहार किया जाना है।

पदार्थों पर लगाए गए प्रतिबंध

आपूर्तिकर्ताओं को उत्पादों और विनिर्माण में विशिष्ट पदार्थों के निषेध या प्रतिबंध से संबंधित सभी लागू कानूनों और ग्राहक ज़रूरतों का पालन करना होगा।

जल प्रबंधन, ऊर्जा की खपत और ग्रीनहाउस गैस प्रदूषक

आपूर्तिकर्ताओं को एक जल प्रबंधन कार्यक्रम लागू करना होगा जिसमें जल स्रोतों, उपयोग और निर्वहन का दस्तावेज़ीकरण, लक्षण वर्णन और निगरानी की जाएगी; जल संरक्षण के अवसरो की तलाश की जाए; और संदूषण के माध्यमों को नियंत्रित किया जाए। आपूर्तिकर्ताओं को एक कॉर्पोरेट-व्यापी ग्रीनहाउस गैस कटौती लक्ष्य स्थापित करना होगा और ऐसे लक्ष्य के विरुद्ध ट्रैक, दस्तावेज़ और रिपोर्ट करनी होगी।

आचारनीति

हम इस बात की उम्मीद करते हैं कि हमारे आपूर्तिकर्ता RBA कोड के आचारनीति का पालन करेंगे।

व्यावसायिक अखंडता और कोई भी अनुचित लाभ नहीं

हमें सभी प्रकार की रिश्वतखोरी, भ्रष्टाचार, जबरन वसूली और गबन को प्रतिबंधित करने के लिए शून्य-सहिष्णुता की नीति की आवश्यकता है। आपूर्तिकर्ताओं को रिश्वत या अनुचित लाभ प्राप्त करने के अन्य तरीकों पर प्रतिबंध लगाना होगा।

जानकारी का प्रकटीकरण

आपूर्तिकर्ताओं को अपने बहीखाताओं और रिकॉर्डों में सभी व्यावसायिक लेन-देन को पारदर्शितापूर्वक निष्पादित करना होगा और सटीक रूप से प्रदर्शित करना होगा।

बौद्धिक संपदा

आपूर्तिकर्ताओं को बौद्धिक संपदा अधिकारों की रक्षा करनी होगी और ग्राहक तथा आपूर्तिकर्ता जानकारी की सुरक्षा करनी होगी।

निष्पक्ष व्यवसाय, विज्ञापन और प्रतिस्पर्धा

आपूर्तिकर्ताओं को निष्पक्ष व्यवसाय, विज्ञापन और प्रतिस्पर्धा के मानकों को बनाए रखना होगा।

पहचान एवं गैर-प्रतिशोध की सुरक्षा

आपूर्तिकर्ताओं को मुखबिरों की गोपनीयता, गुमनामी और सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए प्रोग्राम को बनाए रखना होगा, जब तक कि कानून द्वारा निषिद्ध न हो।

खनिजों की ज़िम्मेदार सोर्सिंग

आपूर्तिकर्ताओं को यह सुनिश्चित करने के लिए एक उचित परिश्रम प्रोग्राम अपनाना होगा कि उनके द्वारा बनाए गए उत्पादों में निर्दिष्ट खनिज संघर्ष-प्रभावित और अधिक खतरों वाले क्षेत्रों या समकक्ष रूपरेखा से खनिजों की ज़िम्मेदार आपूर्ति श्रृंखलाओं के लिए आर्थिक सहयोग और विकास संगठन (OECD) के मार्गदर्शन के अनुरूप हों।

गोपनीयता

आपूर्तिकर्ताओं को आपूर्तिकर्ताओं और ग्राहकों सहित सभी कर्मचारियों, उपभोक्ताओं और भागीदारों की निजी जानकारी की सुरक्षा करनी होगी।

प्रबंधन प्रणाली

आपूर्तिकर्ताओं को लागू कानून और इस कोड का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए एक प्रबंधन प्रणाली अपनानी होगी, जिसमें ये सब शामिल हैं:

- आपूर्तिकर्ता की प्रतिबद्धता नीति विवरण में अभिव्यक्त की गई है
- प्रबंधन की जवाबदेही तथा उत्तरदायित्व
- कानूनी तथा ग्राहक आवश्यकताओं का अनुपालन
- जोखिम मूल्यांकन तथा जोखिम प्रबंधन
- सुधार के उद्देश्य
- प्रशिक्षण एवं संचार कार्यक्रम
- कार्यकर्ता की प्रतिक्रिया, भागीदारी तथा शिकायत
- लेखापरीक्षा, मूल्यांकन तथा सुधारात्मक कार्रवाई प्रक्रिया
- दस्तावेज़ीकरण एवं रिकार्ड का रखरखाव
- आपूर्तिकर्ता अनुपालन के बारे में संप्रेषण और निगरानी करने की एक प्रक्रिया

रिपोर्टिंग

MKS अनुपालन हॉटलाइन एक स्वतंत्र रिपोर्टिंग सेवा के ज़रिए संचालित है और आप इस कोड, हमारी नीतियों या प्रक्रियाओं अथवा कानून के संभावित उल्लंघनों से जुड़े सवाल या मामलों के बारे में पूछने के लिए किसी भी समय, ऑनलाइन, मोबाइल डिवाइस के माध्यम से या फ़ोन के माध्यम से हॉटलाइन से संपर्क कर सकते हैं।

आप गोपनीय रूप से और अगर आप चाहें तो गुमनाम रहकर भी रिपोर्ट सबमिट कर सकते हैं। हालाँकि, कृपया ध्यान दें कि हमें गुमनाम रूप से बनाई गई रिपोर्ट में उठाए गए मामलों की जांच करने और/या संबोधित करने से प्रतिबंधित किया जा सकता है, अगर वह किसी विशेष देश के स्थानीय कानूनों के विरुद्ध हो।

- ऑनलाइन: mksinst.ethicspoint.com
- मोबाइल: mksinstmobile.ethicspoint.com
- फ़ोन: **855-874-1532***

* अमेरिका के बाहर से कॉल करते समय डायल करने के निर्देश (स्थानीय एक्सेस कोड सहित) mksinst.ethicspoint.com पर उपलब्ध हैं। डायलिंग निर्देश देखने के लिए अपना देश चुनें।